न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 141 / 2012 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. उदाराम पुत्र दौलाराम 2. पदमाराम पुत्र दौलाराम 3. किसनाराम पुत्र दौलाराम जाति जाट निवासी नया सोमेरा तहसील बायतु जिला बाड़मेर।	बनाम	1.भगाराम पुत्र पन्नाराम 2.वीरमाराम पुत्र पनाराम जाति जाट निवासीयान नया सोमेसरा तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 142 / 2012 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. उदाराम पुत्र दौलाराम 2. पदमाराम पुत्र दौलाराम 3. किसनाराम पुत्र दौलाराम जाति जाट निवासी नया सोमेरा तहसील बायतु जिला बाड़मेर।	बनाम	1.भगाराम पुत्र पन्नाराम 2.वीरमाराम पुत्र पनाराम जाति जाट निवासीयान नया सोमेसरा तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु के राजस्व वाद संख्या 106/2008 बअनवान भगाराम वगैरा बनाम उदाराम वगैरा में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री धनराज जोशी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 08.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 की पैतृक खातेदारी भूमि ग्राम सोमेसरा व ख्यालीसरा में आई हुई है। जिसमें से ग्राम ख्यालीसरा के खसरा संख्या 1, 12 व 171 रकबा क्रमशः 09.04 बीघा, 30.15 बीघा व 99.16 बीघा कुल रकबा 132.15 बीघा को राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम सह खातेदारी में अंकित है किन्तु ग्राम नया सोमेसरा में स्थित खसरा संख्या 85 रकबा 202.08 बीघा बन्दोबस्त के समय प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता दौला अकेले के नाम गलत रूप से दर्ज करवाए गए। यह भी कथन किया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि पक्षकारों के पूर्वज पना के वक्त की आई हुई है जिसमें 1/3 हिस्सा वादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का है और उसी प्रकार से ये पक्षकार अपने अपने हिस्सों के अनुसार काश्त करते आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का वाद पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 4

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

व 5 के सम्बन्ध में पक्षकारों की साक्ष्य लिये बिना ही इन तनकीयात को वादीगण की साक्ष्य लिये बिना ही इन तनकीयात को वादीगण के पक्ष में निर्णित कर दिया है। यह कार्यवाही विधि के विपरित है। वादीगण की साक्ष्य में वादी भगाराम तथा उसके गवाह दौलतसिंह व भेराराम के शपथ पत्र दिनांक 25.01.2012 को पेश होते ही वादी की साक्ष्य बन्द करने के पश्चात पुनश्चयः करके प्रतिवादी के वकील गवाहन से जिरह करना नहीं चाहते है। ऐसा अंकरन करने से भारी संदेह उत्पन्न होता है। एक ही दिन वादी की साक्ष्य में गवाहों के शपथ–पत्र पेश करना, प्रतिवादीगण को वादी के गवाहो से जिरह करने का अवसर नहीं देना, प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द करना और पुनश्चय करके पक्षकारों की बहस उसी समय सुनने के जो अंकन आदेशिका में लिखे गये है वह अधीनस्थ न्यायालय की कार्यप्रणाली की अनियमितता के साथ ही साथ न्याय के प्रतिकूल है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने वादी के गवाहो से जिरह करना इन्कार किया है तथा प्रतिवादी की साक्ष्य पेश करने से मना किया है तो प्रतिवादीगण के अधिवक्ता का यह आचरण कदाचार की श्रेणी में आता है तथा प्रतिवादीगण की "पैरवी नहीं करने" No Instructions का धोतक थी जिसकी कोई सूचना प्रतिवादीगण को नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का भी यह दायित्व था कि प्रतिवादीगण को न्यायाहित में नोटिस देकर उचित पैरवी करने के लिए कहा जाता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 4 व 5 के सम्बन्ध में पक्षकारों की साक्ष्य लिये बिना ही इन तनकीयात को वादीगण की साक्ष्य लिये बिना ही इन तनकीयात को वादीगण के पक्ष में निर्णित कर दिया है। यह कार्यवाही विधि के विपरित है। वादीगण की साक्ष्य में वादी भगाराम तथा उसके गवाह दौलतसिंह व भेराराम के शपथ पत्र दिनांक 25.01.2012 को पेश होते ही वादी की साक्ष्य बन्द करने के पश्चात पुनश्चयः करके प्रतिवादी के वकील गवाहन से जिरह करना नहीं चाहते है। ऐसा अंकरन करने से भारी संदेह उत्पन्न होता है। एक ही दिन वादी की साक्ष्य में गवाहों के शपथ–पत्र पेश करना, प्रतिवादीगण को वादी के गवाहो से जिरह करने का अवसर नहीं देना, प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द करना और पुनश्चय करके पक्षकारों की बहस उसी समय सुनने के जो अंकन आदेशिका में लिखे गये है वह अधीनस्थ न्यायालय की कार्यप्रणाली की अनियमितता के साथ ही साथ न्याय के प्रतिकूल है। प्रतिवादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

के अधिवक्ता ने वादी के गवाहो से जिरह करना इन्कार किया है तथा प्रतिवादी की साक्ष्य पेश करने से मना किया है तो प्रतिवादीगण के अधिवक्ता का यह आचरण कदाचार की श्रेणी में आता है तथा प्रतिवादीगण की "पैरवी नहीं करने" No Instructions का धोतक थी जिसकी कोई सूचना प्रतिवादीगण को नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का भी यह दायित्व था कि प्रतिवादीगण को न्यायाहित में नोटिस देकर उचित पैरवी करने के लिए कहा जाता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ 1999 Raj. Page 34
RRT 2014(2) Page 1202
AIR 1981 SC Page 1400
AIR 2010 SC Page 1159
RRT 2013(2) Page 1131
RRT 2013(1) Page 254
AIR 1973 SC Page 233
AIR 1984 SC Page 1171
RRT 2001(2)Page 936
RRT 2012(1) Page 325
RRT 2015(2) Page 1077
RRT 2017(2) Page 1074
RRT 2019(1) Page 719

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण ने अपनी अपील में निराधार मनगढंत व काल्पनिक तथ्यों का आधार दिया है जा मानने लायक नहीं है। अपीलांटगण के पिता दौलाराम संयुक्त परिवार का कर्ता खानदान और मुखिया था और उतरदातागण/वादीगण समय नाबालिग थे। उक्त स्थिति का लाभ उठाते हुए उसने अकेले ने सेटलमेंट वालो से मिलावट कर ग्राम नया सोमेसरा के खेत खसरा संख्या 85 रकबा 202.08 बीघा भूमि का पर्चा लगान जारी करवा दिया जो गलत जारी करवाया था। पक्षकारान के बीच राजीनामा हो जाने की वजह से जानबूझकर अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और अपने अधिवक्ता को निर्देश दिया कि हमें कोई एतराज नहीं है, उतरदातागण का नाम खातेदारी में दर्ज होवे तो। तब अपीलांटगण के अधिवक्ता ने न तो उतरदातागण से और न ही उनके गवाहान से जिरह की और न ही अपीलांटगण की तरफ से साक्ष्य ही पेश किया। अपीलांटगण के पूर्वज दौलाराम ने

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जागीरदारों को उपरोक्त काश्त पर लेने के सबंध में कोई हासल की रसीद व जागीरदारों द्वारा हासिल पर ली गई कोई लिखा–पढी का दस्तावेज अपने जबाबदावे के साथ प्रस्तुत नहीं किया है और अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि दौलाराम के अकेले की जमीन थी। जागीरदार किसी भी काश्तकार को भूमि काश्त हेतु देते थे तो उसकी लिखित बहियात में की जाती थी और वे हासिल की रसीद काश्तकार को देते थे। ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 04 व 05 का निर्णय दिनांक 19.10.2011 को ही कर दिया था जो हस्तगत वाद के निर्णय से पूर्व किया था जिससे अपीलांटगण असन्तुष्ट थे तो उन्हें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो निगरानी अपीलांटगण द्वारा नहीं की गई। तनकी संख्या 04 खानदानी सजरे में वर्णित व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाने के सम्बन्ध में है उतरदातागण का कथन है कि खानदानी सजरे में अपीलांटगण ने अपने जबाबदावे में गलत तथ्यों का वर्णन किया है। यदि उनमें से किसी भी व्यक्ति को वादग्रस्त भूमि में हक व हिस्सा प्राप्त करना है तो वो अलग से वाद लाने के लिये स्वतंत्र है। यह सुस्थापित सिद्धांत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन मे निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 1975 DB Page 75
RRD 1983 DB Page 310
RRD 1975 DB Page 380
AIR 1995 SC Page 895
RRT 2008(1) HC Page 154
RRT 2013(1) Page 188
RRD 1992 Page 43
DNJ (Raj.) Page 397
RRD 1995 DB Page 499
RRT 2013(1) Page 58
RRT 2013(1) Page 737
RRT 3013(2) Page 1284
DNJ (Raj.) 2017(3) Page 1054
RJT 2017(1) Page362
RRT 2013(2)Page 1219
CCC (SC) 2009(2) Page 584
RLW (RJ) 2002 Page 147
RLW (RJ) 2008(2) Page 1037

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम उभयपक्ष को अवेदन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। जिसके अनुसार रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 07.09.2017 एवं 11.09.2017 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 पेश कर निवेदन किया गया है कि उतरदातागण ने अधीनस्थ न्यायालय में खसरा संख्या 13 रकबा 01.02 बीघा गैर मुमकिन टांका की भूमि , जो अपीलांटगण व उतरदातागण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 उतरदातागण के ध्यान में नहीं आने पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। वक्त सेटलमेंट में उतरदातागण की नाबालिग होने का सबूत उनका बना आधार कार्ड और भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र है जिसमें भगाराम का जन्म दिनांक 1.01.1948 बताया गया है तथा वीरमाराम का जन्म दिनांक 01.01.1951 बतलाया गया जिससे उतरदाता भगाराम की उम्र वक्त सेटलमेंट सन् 1955 में 08 वर्ष की थी तथा उतरदाता वीरमाराम की उम्र 05 वर्ष की थी। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त जमाबंदी, आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र महत्वपूर्ण एवं इस प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेजात है जो प्रकरण का निस्तारण करने में भी अहम है इस वजह से न्यायहित में रिकोर्ड पर लेना आवश्यक एवं उचित है।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के जबाव में अपीलांटगण ने बताया कि खसरा संख्या 13 रकबा 01.02 बीघा गैर मुमकिन टांका की भूमि में अपीलकर्तागण व उतरदाता का 1/4 हिस्सा है तथा शेष 3/4 हिस्सा अन्य खातेदारों का है। बन्दोबस्त के समय जिन लोगो का खसरा संख्या 13 गैर मुमकिन टांका पर कब्जा होने से उनके नाम से बन्दोबस्त अधिकारियों ने राजस्व अभिलेख में अंकन किया था। उतरदातागण द्वारा प्रस्तुत खतौनी से इस अपील में वर्णित विवादित खसरों से कोई संबन्ध नहीं है। उतरदातागण द्वारा जो परिचय पत्र प्रस्तुत किये है वे इस प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। उतरदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी, आधार कार्ड एवं मतदाता सूची प्रस्तुत करने से इस अपील के न्याय निर्णय करने में कोई सहायक सिद्ध नहीं होगा। अतः उतरदाता द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र खारिज फरमया जावे।

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 पर बहस सुनी गई बहस सुनने एवं प्रार्थना–पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने से पाया कि रेस्पोडेंट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 को न्यायाहित में ग्रहण किया जाता है और प्रस्तुत दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने हेतु रेस्पोडेंट को अनुज्ञात किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि पाया कि पत्रावली पर ऐसा कोई अभिलेख नहीं है जो यह साबित करता हो कि वादग्रस्त भूमि पूर्वज पन्ना के नाम थी और कालान्तर में पुश्तैनी रूप से वादीगण एवं प्रतिवादीगण को संयुक्त रूप से प्राप्त हुई हो। भू बंदोबस्त के समय यह सिद्धांत मोटे रूप में अपनाया गया कि जो कृषक जिस भूमि पर काबिज काश्त है, उसे उसी के नाम खातेदारी में अंकित कर पर्चा लगान जारी कर दिया। उभयपक्ष के मध्य गांव ख्यालीसरा के तीनों खसरों की संयुक्त भूमि उन सबके नाम हक–हिस्सों तक खातेदारी में दर्ज हुई जिसमें कोई विवाद नहीं हैं। वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट अपीलांटगण के पिता दौला के नाम दर्ज हुई। इस भूमि को पुश्तैनी साबित करने में वादीगण/रेस्पोडेंट सफल नहीं हो पाए है जो कि **इस दावे का मूल आधार है।** रेस्पोडेंटगए का इस वादग्रस्त भूमि पर वक्त बंदोबस्त से अनवरत एवं निर्विवादित कब्जा काश्त रहना भी साबित नहीं है। वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी एवं कब्जा काश्त की होने बाबत तथ्य साबित नहीं करा पाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के पक्ष में वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी घोषणा करार दिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित नहीं है इसलिए अपीलाधीन निर्णय यथावत रखने योग्य नहीं है। मामले में मुख्यत दो विवाद्यकों का निर्धारण होकर इन पर साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णय होना अभी भी शेष है:– कि (अ) आया वादग्रस्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी होने से वे उस पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के हकदार है? (ब) आया वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट से वादीगण का 1/3 हिस्से की भूमि पर निर्बाध कब्जा काश्त रहा है?

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु के राजस्व वाद संख्या 106/2008 बअनवान भगाराम वगैरा बनाम उदाराम वगैरा में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2012 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त विवाद्यकों की कायमी करते हुए इन पर साक्ष्य सबूत लेकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

8/7/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner